

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2755] No. 2755] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2019/श्रावण 31, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2019/SHRAVANA 31, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

का.आ. 3020(अ).—यतः केंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5216(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -7 के विद्यमान चैनेज 477.600 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग -12 ए के 22.800 कि.मी. (रा.रा -12 ए का जबलपुर-बरेला सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में रा.रा. संख्या 12 ए के (नया रा.रा.-30) के जबलपुर—मंडला सेक्शन के डिजाइन किलोमीटर 0.000 कि.मी. से 21.850 कि.मी (विद्यमान चैनेज रा.रा - 7 के 477.600 कि.मी से रा.रा - 12 ए के 22.800 कि.मी.) तक के पेव्डशोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में 60% की विनिर्दिष्ट आधार दर से यांत्रिक वाहनों पर सड़क खंड की निवल लंबाई 6.9 कि.मी. और 11.842 कि.मी. की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) (समकक्ष लंबाई 1.1842 कि.मी.) और बाइपासों जिनकी लम्बाई 13.7658 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है पर 90% की आधार दर से नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1

| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में) | |
|---|--|--|
| (1) | (2) | |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | 0.65 | |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 | |

4326 GI/2019 (1)

| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
|--|------|
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से 6 धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) | 4.20 |

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

सारणी 2

| शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चैनेज) | लम्बाई (किलोमीटर में) संदेय हैजिसके लिए शुल्क | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
|--|--|--|
| मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में सलीवाडा गांव के निकट रा.रा. 12-ए (नया रा.रा. 30) के डिजाइन चैनेज 13.400 कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 13.440 कि.मी.) | 6.9 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर) | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60% |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत **10** करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लंबाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी 3

| शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज) | बाइपास का नाम | पर शुरू हो कर | पर मिलते हुए | बाइपास की ल लागत जिस ^{न्} अतिरिक्त शुल्क स | के लिए | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
|---|---------------------------------|---|---|---|---------------------|--|
| | | | | लंबाई (कि.मी. में) | लागत (करोड़ में) | |
| मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में सलीवाडा गांव के निकट रा.रा. 12-ए(नया रा.रा. 30) पर डिजाइन चैनेज 13.400 कि.मी. | रा.रा. 12-ए का जबलपुर बाइपास | डिजाइन कि.मी 0.000 (रा.रा7 का विद्यमान चैनेज 477/6 कि.मी.) | डिजाइन कि.मी 11.450 (रा.रा12 ए का विद्यमान चैनेज 12/6 कि.मी.) | 10.2658 कि.मी. (60मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर) | 96.22 | |
| 13.440 कि.मी.) | रा.रा. 12-ए का बरेला बाइपास | डिजाइन कि.मी 14.600 (रा.रा12 ए का विद्यमान चैनेज 15/8 कि.मी.) | डिजाइन कि.मी 18.100 (रा.रा12 ए का विद्यमान चैनेज 18/10 कि.मी.) | 3.50 कि.मी. (60मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर) | 30.45 | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90% |
| | , | कुल लंबाई | | 13.7658 | 126.67 करोड़ | |

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

| शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई* (कि.मी.में) | सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में) | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
|--|--|---------------------------------------|--|
| मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में सलीवाडा गांव के निकट रा.रा 12ए(नया रा.रा. 30) पर | 4.2 चैनेज कि.मी. पर नर्मदा नदी पर बडा पुल लम्बाई =0. 9932* कि.मी. | 9.932 कि.मी. | ऊपर सारणी 1 -में उल्लिखित आधार दरों का 60 % |
| डिजाइन चैनेज 13.400 कि.मी. (विद्यमान चैनेज 13.440 कि.मी.) | 9.65 चैनेज कि.मी. पर गौर नदी पर बडा पुल लम्बाई =0.191* कि.मी. | 1.910 कि.मी. | |

*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

| क्रम | चै नेज | | संरचना का प्रकार | लंबाई |
|------|---------------|-----------|------------------|--------------|
| सं. | कि.मी. से | कि.मी. तक | | (कि.मी. में) |
| 1 | 4.200 | 5.1932 | बड़ा पुल | 0.9932 |
| 2 | 9.650 | 9.841 | बड़ा पुल | 0.191 |
| | | | कुल | 1.1842 |

- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर –वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/- (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।
- 5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्ः

| संदेय राशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधि मान्यता की अवधि |
|---|--|----------------------------|
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चैबीस घंटे |
| पचास और उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास | संदाय की तारीख से एक मास |

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट दर का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1(ए) के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा- उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 327.320 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/ 18-19/जीसी जबलपुर–मंडला सेक्शन (पैकेज-I)] प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2019

S.O. 3020(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 5216 (E) dated 11th October'2018 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from existing chainage km 477.600 of NH-7 to Km. 22.800 of NH-12A (Jabalpur-Barela section of NH-12 A) in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 6.9 km and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 11.842 km (having length of 1.1842 km) and at 90% of the base rate for bypasses having length of 13.7658 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two lane with paved shoulder of Jabalpur-Mandla section from design kilometer 0.000 to kilometer 21.850 (existing chainage km 477.600 of NH-7 to Km. 22.800 of NH-12A) of National Highway number 12A (New NH-30) in the State of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

| Type of vehicle | Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Table 2

| Location of Fee Plaza (chainage) | Length (in km) for which Fee is payable | Rate at which fee is payable |
|--|--|---|
| Design chainage Km.13.400 (existing chainage km 13.440) on NH-12A (New NH 30) near village Saliwada in Jabalpur District of Madhya Pradesh | 6.9 (Excluding length of structure > 60 m & length of bypasses costing > Rs. 10 Cr.) | 60% of the base rates mentioned in Table-1 above |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass (es) length specified for such Fee Plaza:-

Table 3

| Location of Fee Plaza(s) | Name of the | Taking Merging at Off | | Length & Cost of bypass for which additional fee is payable | | Rate at which fee is payable |
|---|---------------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------------|
| (chainage) | Bypass | | | Length (in Km.) | Cost (in Rs. Crore) | |
| Design chainage Km.13.400 (existing chainage km 13.440) on NH- 12A (New NH 30) near village | Jabalpur Bypass of NH-12A | Design km 0.000 (Ex. Ch. Km. 477/6 of NH-7) | Design Km 11.450(Ex. Ch. Km. 12/6 of NH- 12A) | 10.2658 km (excluding length of structure >60m) | 96.22 | 90% of the base |
| Saliwada in Jabalpur District of Madhya Pradesh | Barela Bypass of NH-12A | Design Km 14.600 (Ex. Ch. Km. 15/8 of NH- 12A) | Design Km 18.100(Ex. Ch. Km. 18/10 of NH-12A) | 3.50 km (excluding length of structure >60m) | 30.45 | in Table-1 above |
| | | Total Length | 1 | 13.7658 | 126.67 Cr. | |

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

| Location of Fee Plaza (chainage) | Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent Road length (in km) | Rate at which fee is payable |
|---|---|--------------------------------------|--|
| Design chainage Km.13.400 (existing chainage km 13.440) on NH-12A (New NH 30) near village Saliwada in Jabalpur | Major Bridge across River Narmada at ch. km 4.2 Length=0.9932* km | 9.932 km | 60% of the base rates mentioned in Table-1 |
| District of Madhya Pradesh | Major Bridge across River Gour at ch. km 9.65 Length=0.191* km | 1.910 km | above |

*Details of structure having length more than 60m is as under:

| S.No. | Chainage | | Type of Structure | Length (in Km.) |
|-------|----------|--------|-------------------|-----------------|
| | From Km. | To Km. | | |
| 1 | 4.200 | 5.1932 | Major Bridge | 0.9932 |
| 2 | 9.650 | 9.841 | Major Bridge | 0.191 |
| | | | Total | 1.1842 |

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

| Amount Payable | Maximum number of | Period of validity |
|--|-----------------------------|--|
| | one way journeys allowed | |
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys | Fifty | One month from date of payment |

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc., shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rupees 327.320 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc., are yet to be completed, and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/18-19/GC Jabalpur-Mandla Section (PKG-I)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.